फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— प्रेमीबाई भील

विपक्षी :—**राज्य**

किस्म मुकदमा :— 131 एल.आर.एक्ट

पत्रावली संख्या :—**158 / 25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :—**2025 / 541**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुलसीदास जी की सराय की आराजी संख्या 928 / 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्रीमती प्रेमीबाई पत्नी भीमा भील तरमीम परिवर्तन करवाना चाहते है। नामान्तरकरण पंजिका में आवंटन पत्रावली में नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं होने के कारण स्थल निरीक्षण कर मौका पर्चा बनाया गया है। आसजी संख्या 928 / 1 की वर्तमान में नक्शा ट्रेस से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थिया तरमीम की स्थिति बदलवाना चाहती है। मौतबिरानों द्वारा बताये अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीया का कब्जा है। मौके पर भूमि पड़त होकर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। इस तरमीम परिवर्तन से पडौस की आराजी संख्या 1 जो उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 271 पर दर्ज आराजी नम्बर 928 / 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की उक्त भूमि का आवंटन का नक्शा नही है। मौके पर कब्जे अनुसार प्रार्थीया की भूमि राजस्व नक्शे में नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया को भूमि आवंटन के पश्चात मूल साबिक आराजी नम्बर में राजस्व कार्मिको द्वारा कब्जा सुपुर्दगी की गई। कब्जा सुपुर्दगी [illegible] भूमि का कब्जा दिया जाता उसी भूमि पर कृषि का[illegible] में प्रार्थीया का आवंटन के पश्चात प्राप्त कब्जा ज[illegible] काबिज है एवं [illegible] नक्शे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026-04-16 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

में भिन्नता है। न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रार्थीया उसी मूल नम्बर में काबिज होने से राजहित प्रभावित नही हो रहा है। केवल मात्र राजस्व नक्शा एवं मौके पर भिन्नता होने के कारण पक्षकारो के मध्य विवाद बने रहते है। मौके अनुसार तरमीम करने से प्रार्थीया के रकबे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन भी नही होगा। केवल मात्र मौके एवं राजस्व नक्शे की तरमीम की आकृति में भिन्नता है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा प्रस्तावति नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 271 पर दर्ज आराजी नम्बर 928/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए यह सुनिश्चित करे की उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में हो। प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested